



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032025-262165
CG-DL-E-30032025-262165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947

No. 99]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2025

मामला सं. एडी (ओआई)-10/2025

विषय: चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड साम्राज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एन - (1, 3 - डाइमिथाइलब्यूटाइल) - एन' - फिनाइल- पी-फिनाइलीनडायामीन, जिसे पीएक्स-13 भी कहा जाता है)" के आयातों से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत - के संबंध में।

फा. सं. 6/10/2025-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स नोसिल लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष "एन - (1, 3 - डाइमिथाइलब्यूटाइल) - एन' - फिनाइल- पी-फिनाइलीनडायामीन, जिसे पीएक्स-13 भी कहा

जाता है)" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "पीयूसी" अथवा "पीएक्स-13" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। वर्तमान जांच चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड साम्राज्य (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पीएक्स-13" के आयातों के संबंध में है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित किए गए आयातों के कारण भौतिक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "एन - (1, 3 - डाइमिथाइलब्यूटाइल) - एन' - फिनाइल- पी- फिनाइलीनडायामीन है अथवा इसे "पीएक्स-13" या "6 पीपीडी" के रूप में भी जाना जाता है।
4. पीएक्स-13 को 6 पीपीडी के रूप में भी जाना जाता है और इसे विभिन्न नामों से आयात किया जाता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट 6 पीपीडी, कुमानोक्स 13, सैंटोफ्लेक्स 6 पीपीडी, सिरान्टोक्स 6 पीपीडी, वुल्कानोक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट 4020, डुसैंटोक्स 6 पीपीडी, एंटेज 6सी, एन -1, 3 -डाइमिथाइलब्यूटाइल) - एन'- फिनाइल - पी- फिनाइलीनडायामीन आदि।
5. पीएक्स-13 एक एल्काइल-एरिल-पीपीडी एंटी-डिग्रेडेंट है जिसका सबसे अधिक उपयोग रबड़ उद्योग के टायर और गैर- टायर क्षेत्रों में किया जाता है। पीएक्स-13 ओजोन (स्थिर और गतिशील दोनों), फ्लेक्स-क्रैकिंग और फटींग, ऑक्सीडेटिव हीट एजिंग, मेटल-आयन केटेलाइज्ड ऑक्सीडेटिव एजिंग, यूवी लाइट और वेदरिंग जैसी डिग्रेडेटिव फोर्स के खिलाफ रबड़ बुल्केनाइजेट्स को उत्कृष्ट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। इसे प्राकृतिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ (एसबीआर, ब्यूटाडीन रबड़, नाइट्राइल रबड़, कार्बोज़ाइलेटेड रबड़) और अन्य सिंथेटिक रबड़-आधारित कंपाउंड के शोधन में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जिनका उपयोग विभिन्न रबड़ उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है ताकि रबड़ उत्पाद के अपेक्षित जीवन चक्र को प्राप्त किया जा सके।
6. पीएक्स-13 को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 अर्थात् 'विविध रसायन उत्पाद' के तहत, टैरिफ वर्गीकरण के उप-शीर्ष 3812 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आवेदक ने यह कहा है कि पीएक्स-13 को एचएस कोड 29215120, 29215130, 29215190, 38121000, 38122090, 38123100, 38123910, 38123920, 38123930 और 38123990 के अंतर्गत आयात किया जाता है।
7. आवेदक ने इस अवस्था में किसी पीसीएन का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के लिए पक्षकार पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों ही समान वस्तुएं हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं, जैसे भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, और संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं और करते रहे हैं। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसीलिए नियमावली के तहत उन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए।
9. अतः वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए समान वस्तु के रूप में माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

10. आवेदन मैसर्स नोसिल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा भारत में दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं नामत मैसर्स फिनोरकेम लिमिटेड और मैसर्स लैक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
11. इस संबंध में अन्य घरेलू उत्पादकों को भी पत्र भेजा गया था जिसके लिए मैसर्स फिनोरकेम लिमिटेड ने उत्तर दिया और अपना समर्थन व्यक्त किया।
12. आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि वह नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में किसी आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
13. प्रदान की गई सूचना के आधार पर, यह देखने में आया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से 'घरेलू उद्योग' में आता है और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड साम्राज्य है।

ङ. जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 (12 माह) है। क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार**i. चीन के लिए सामान्य मूल्य**

16. आवेदक ने चीन एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है तथा यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ मौजूद हैं। जब तक कि चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ मौजूद हैं तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध -I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
17. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत के संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश में बेचा गया है, उसके संबंध में, आवेदक ने यह अनुरोध किया कि यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का अधिकांश देशों में कोई समर्पित कोड नहीं है। अतः आवेदक किसी अन्य देश से निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता। इसीलिए आवेदक ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर पीएक्स-13 के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है।
18. जांच शुरुआत के प्रयोजन के लिए, पीएक्स-13 के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के अतिरिक्त समायोजित किया गया है।

ii. यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड साम्राज्य के लिए सामान्य मूल्य

19. यूरोपीय संघ और थाईलैंड साम्राज्य के लिए, आवेदक ने इन देशों को अपनी निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने भारत में अपने उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य भी प्रदान किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है। कोरिया गणराज्य के लिए, आवेदक ने सामान्य मूल्य के आधार के रूप में लाभों को उचित रूप से शामिल करके पीएक्स-13 के उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य प्रदान किया है।
20. जांच शुरुआत के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ को शामिल कर उसे समायोजित किया गया है।

iii. निर्यात कीमत

21. संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत, संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है, जैसा कि डीजीसीआईएंडएस के आयात संबंधी आंकड़ों में सूचित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़ा और बैंक शुल्क के कारण कीमत का समायोजन किया गया है ताकि कारखाना बाह्य निर्यात कीमत पर पहुंचा जा सके। संबद्ध देशों के लिए दावा की गई निर्यात कीमतों के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

iv. पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* यह स्थापित करता है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार, पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति का साक्ष्य और कारणात्मक संबंध

23. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि उसे पाटित आयातों के परिणामस्वरूप भौतिक क्षति हुई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयात और आर्थिक मापदंडों से संबंधित सूचना से पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान आयात में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है और यह भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में महत्वपूर्ण है। आवेदक की कीमतों पर सकारात्मक मूल्य कटौती और मूल्य अवसाद का प्रभाव पड़ा है। आवेदक की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है। संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी और घरेलू बिक्री में काफी गिरावट आई है और यह उस स्तर से नीचे है जिसे घरेलू उद्योग प्राप्त कर सकता था। विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं।

ज. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

24. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, जो कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित किए गए आयातों के बीच कारणात्मक संबंधों के संबंध में तथा अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

25. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना की प्रस्तुति

26. सभी पत्राचार ईमेल पते <dir13-dgtr@gov.in> और <ad12-dgtr@gov.in> पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, जिसके साथ में एक प्रति <dir15-dgtr@gov.in> और <consultant-

dgtr@nic.in> को भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्व करने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में हों।

27. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार तथा भारत में ऐसे आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध हैं, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में यथाउल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।
28. कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में यथाउल्लिखित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है।
29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
30. हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे किसी भी अद्यतन सूचना के साथ-साथ जांच के संबंध में आगे की प्रक्रियाओं के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल के माध्यम से <dir13-dgtr@gov.in> और <ad16-dgtr@gov.in> पर भेजी जानी चाहिए, जिसके साथ ही इसकी एक प्रति <dir15-dgtr@gov.in> और <consultant-dgtr@nic.in> को उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दाखिल किए गए आवेदन का अगोपनीय पाठ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के लिए उत्तर दाखिल करें।
33. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा तथा ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

34. जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध अस्वीकृत किए जा सकते हैं।
35. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे अंकन किए बिना के प्रस्तुत किए गए कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं तथा/ अथवा अन्य सूचना, जिसके लिए ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध किया जाना चाहिए अथवा खाली छोड़ा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) तथा ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित रूप से संक्षेप में दिया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।
38. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है और इस तरह का सारांश संभव नहीं है, इसके कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
39. हितबद्ध पक्षकार अनुरोध के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
40. नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त और उपयुक्त कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध और गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
41. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध के अगोपनीय पाठ को परिचालित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर अथवा प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2025

Case No. AD (OI)-10/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine (also known as PX-13)” originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP and Kingdom of Thailand - *reg.*

F. No. 6/10/2025-DGTR.—1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (*hereinafter referred as the 'Act'*) and the Customs Tariff (*Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury*) Rules, 1995, as amended from time to time (*hereinafter referred to as the 'Rules'*), M/s NOCIL Limited (*hereinafter referred to as the 'applicant' or 'petitioner'*) has filed an application before the Designated Authority (*hereinafter referred to as the 'Authority'*), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of “N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine (also known as PX-13)” (*hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods' or 'PUC' or 'PX-13'*). The present investigation concerns import of PX-13 originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP and Kingdom of Thailand (*hereinafter referred to as the 'subject countries'*).

2. The applicant has alleged that material injury is being caused due to the dumped imports of the subject goods from the subject countries and has requested for the imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration (PUC) in the present application is “N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine” or also known as “PX-13” or “6 PPD”.
4. PX-13 is also known as 6PPD and is imported with various descriptions such as Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P-Phenylenediamine, etc.
5. PX-13 is an alkyl-aryl-PPD anti-degradant most widely used in the tyre and non-tyre sector of the rubber industry. PX-13 offers excellent resistance to rubber vulcanizates against degradative forces such as ozone (static as well as dynamic), flex-cracking and fatigue, oxidative heat ageing, metal-ion catalysed oxidative ageing, UV light

and weathering. It is used as antioxidants in treating natural rubber, synthetic rubber (SBR, Butadiene Rubber, Nitrile Rubber, Carboxylated Rubber) and other synthetic rubber-based compounds used for manufacture of various rubber products to achieve the desired life cycle of the rubber product.

6. PX-13 is classified under **Chapter 38** viz., ‘**Miscellaneous chemicals products**’ of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 3812 39 of the tariff classification. The applicant has stated that PX-13 is imported under the ITC-HS codes 29215120, 29215130, 29215190, 38121000, 38122090, 38123100, 38123910, 38123920, 38123930 and 38123990.
7. The applicant has not proposed any PCN at this stage. The parties to the present investigation may provide their comments, on the scope of the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

8. The applicant has submitted that there are no significant differences in the product produced by the applicant and those exported from the subject countries, and both are like articles. The product produced by the applicant and those imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules.
9. Therefore, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

10. The application has been filed by M/s NOCIL Limited. Apart from applicant there are two other domestic producers in India namely, M/s Finorchem Limited and M/s Lanxess India Private Limited.
11. In this regard, communication was also sent to the other domestic producers, to which M/s Finorchem Limited has responded and expressed its support to the application.
12. The applicant has certified that it is not related to an exporter or producer of the subject goods in the subject countries or an importer in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) the Rules. The applicant has not imported the product under consideration.
13. Based on the information provided, it is seen that the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. SUBJECT COUNTRIES

14. The subject countries in the present investigation are China PR, European Union, Korea RP and Kingdom of Thailand.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

15. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st October 2023 to 30th September 2024 (12 months). The injury investigation period will cover the period 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the period of investigation.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

i. Normal value for China PR

16. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

17. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. Further, with regards to the price at which the product under consideration has been sold from the market economy third country to any other country, including India, the applicant submitted this information is not available as the product under consideration does not have a dedicated code in most of the countries. Therefore, the applicant could not determine normal value based on export price from any other country. The applicant has therefore claimed normal value for PX-13 based on its cost of production in India, adjusted to include a reasonable profit margin.
18. For the purpose of initiation, the normal value for PX-13 has been determined based on cost of production in India, duly adjusted for addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

ii. Normal value for European Union, Korea RP and Kingdom of Thailand

19. For European Union and Kingdom of Thailand, the applicant has claimed normal value based on its export price to these countries. The applicant has also provided normal value based on facts available considering its cost of production in India, adjusted to include a reasonable profit margin. For Korea RP, the applicant has provided normal value based on facts available considering its cost of production of PX-13 with reasonable addition for profits as the basis for normal value.
20. For the purpose of initiation, the normal value has been determined based on facts available considering cost of production in India, duly adjusted for addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

iii. Export price

21. The export price of the subject goods has been determined by considering CIF price of the subject goods, as reported in the DGCI&S import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges to arrive at ex-factory export price. There is sufficient evidence of export prices claimed for subject countries.

iv. Dumping margin

22. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject countries is not only above the *de minimis* level but is also significant. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

23. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has claimed that it has suffered material injury as a result of the dumped imports. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the imports have increased in absolute terms over the injury period and are significant in relation to the Indian production and consumption. There is positive price undercutting and price depression effect on the prices of the applicant. The applicant has incurred decline in its profitability and return on capital employed. Despite having enough capacity to meet the entire Indian demand, the market share and the domestic sales of the domestic industry have significantly declined and are below the level the domestic industry could have achieved. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject countries.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

24. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from subject countries

and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

25. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

26. All communication should be sent to the Designated Authority *via* email at the email addresses <dir13-dgtr@gov.in> and <ad12-dgtr@gov.in> with a copy to <dir15-dgtr@gov.in> and <consultant-dgtr@nic.in>. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
27. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
28. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
29. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
30. Interested parties are further advised to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in>) for any updated information as well as further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

31. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority *via* email at the email <dir13-dgtr@gov.in> and <ad12-dgtr@gov.in> with a copy to <dir15-dgtr@gov.in> and <consultant-dgtr@nic.in> within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by or on behalf of the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
32. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (*including the nature of interest*) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
33. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

34. Where any party makes any confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the same may lead to rejection of the response / submissions.
35. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
36. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be

confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (*where indexation is not possible*) and such information must be appropriately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
39. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the submission.
40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
41. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

42. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTRs website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to consideration of an interested part as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

43. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority